(12)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R-1152-तीन/14

TWENTY RUPEES

रामकरण उपाध्याय तनय श्री रामचरण उपाध्याय, निवासी ग्राम पड़खिर,
तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० — —आवेदक/निगराकार

बनाम

हरिहर प्रसाद तिवारी तनय रामबिशाल तिवारी, निवासी ग्राम पड़खिर,
तहसील हुजूर, जिलारीवा, म०प्र० ——————अनावेदक/गैर निगराकार

श्री अशोक कुमार द्विवेदी एड. के द्वारा आज दिनांक 14-3-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई० विरूद्व न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, म०प्र० प्र० क्र० 38/आवेदन/बी-121/12-13, आदेश दिनांक 24.2.14

====================================

आदेश उपाध्याय / हरिहर प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1152/III/2014

जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7.4.2014 | यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 38/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-2-14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क दिया कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 41/12-13 अपील को अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने हेतु आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 29(2) के अंतर्गत दावा दयर किया था एंव अंतरण के कारण बताये गये थे, किन्तु वास्तविक कारणों पर ध्यान दिये बिना आयुक्त ने सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 24-2-14 पारित करके अंतरण का दावा निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मॅगाया जावे।<br>4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त के आदेश दिनांक 24-2-14 के अवलोकन पर पाया गया कि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने मूल न्यायालय की हैसियत से संहिता की धारा 29(2) के अंतर्गत प्रस्तुत दावा निरस्त किया है और आयुक्त द्वारा मूल न्यायालय की हैसियत | [signature] |

से पारित आदेश अपील योग्य है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी को अपील में बदलकर सुनने की मांग भी नहीं की है जिसके कारण अपील अग्राह्य होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य

9/4/24